देवेन्द्र सिंह चौहान,

आई०पी०एस०



डीजी परिपत्र संख्या- 66/2023

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय, लखनऊ। दिनांकः लखनऊः फरवरी /4 ,2023

विषय:

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 यथासंशोधित उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम-2015 तथा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली 2021 के प्रावधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली—2021. उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या—5203/छ:—पु0—9—2021—31(43)—2013 दिनांकित 27.12.2021 द्वारा प्रख्यापित की गयी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू है। नियमावली—2021 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन विधिसम्मत कार्यवाही हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्याः डीजी सात—एस—14(09)/2021 दिनांकित 25.04.2022 तथा अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्याः डीजी सात एस—14(09)/2021 दिनांकित 01.06.2022, डीजी परिपत्र संख्या—40/2022 दिनांक 09.12.2022 तथा डीजी परिपत्र संख्या—20/2018 दिनांक 06.05.2018 के द्वारा पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश राज्य के किमश्ररेट / जनपदों में गिरोहबन्द अधिनियम-1986 के अन्तर्गत कार्यवाही के क्रम में अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति को अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किया जाता है। अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्की आदेश पारित होने के उपरान्त कार्यवाही के सम्बन्ध में गैंगस्टर एक्ट की धारा 16(1) में निम्नवत प्रावधान है —

"जहाँ धारा 15 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अभ्यावेदन न दिया जाये या जिला मजिस्ट्रेट धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन सम्पत्ति को निर्मुक्त नहीं करता है, वहां वह मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करने के लिय अधिकारितायुक्त न्यायालय को निर्दिष्ट करेगा।"

.....

अतः कुर्की आदेश के सम्बंध में विचारण न्यायालय से त्वरित आदेश प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि सम्बन्धित प्राधिकारियों से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाये कि इस प्रकार की पत्राविलयां समयबद्ध रूप से जिला मिजस्ट्रेट कार्यालय से सम्बंधित न्यायालय को संदर्भित कर दी जाये।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 17 में कुर्क की गयी सम्पत्ति के सम्बन्ध में विशेष न्यायालय द्वारा जाँच किये जाने सम्बन्धित निम्नवत प्रावधान है—

"यदि ऐसी जांच पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सम्पत्ति किसी गिरोहबन्द द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणामस्वरूप अर्जित नहीं की गयी थी तो वह उस सम्पत्ति को ऐसे व्यक्ति के पक्ष में निर्मुक्त करने का आदेश देगा, जिसके कब्जे से वह कुर्क की गयी थी। किसी अन्य मामले में न्यायालय सम्पत्ति को कुर्क करके, अधिग्रहण करके या सम्पत्ति पर कब्जा पाने के लिये हकदार व्यक्ति को देकर, या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने का ऐसा आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।"

अधिनियम की धारा-17 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय गिरोहबन्द अधिनियम में होने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) नियमावली 2021 के नियम 53 में व्यवस्था दी गयी है, जिसके अनुसार विशेष न्यायालय द्वारा जाँच के दौरान सम्बन्धित लोक अभियोजक को प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने तथा अभियुक्त/सम्पत्ति के स्वामी की ओर से प्रस्तुत साक्षियों की प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रदेश की कानून-व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने, अपराध नियंत्रण तथा गिरोह बनाकर आपराधिक कृत्यों के जिये धनार्जन करने वाले अपराधियों पर नियंत्रण के लिये यह आवश्यक है कि गिरोहबन्द अधिनियम, 1986 के ऐसे प्रकरण जिनमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम की धारा-14(1) के अन्तर्गत आदेश पारित करने के उपरान्त पत्राविलया सम्बंधित गैंगस्टर कोर्ट को सन्दर्भित की गयी है, उनमे सुसंगत आख्या एवं अभिलेख ससमय न्यायालय में कार्य कर रहे लोक अभियोजक को उपलब्ध कराते हुये प्रभावी पैरवी की जाए, जिससे जाँच के दौरान अभियुक्त / सम्पत्ति स्वामी द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों का प्रभावी प्रतिवाद किया जा सके।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021 के प्रावधानों, विशेष रूप से आपराधिक कृत्यों द्वारा किये गये धनार्जन से अर्जित सम्पत्तियों की कुर्की से सम्बन्धित प्रावधानों, से अपने अधीनस्थों को अवगत करायें तथा गिरोहबन्द अधिनियम की धारा-17 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय में विचाराधीन सभी प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए कुर्क की गयी सम्पत्ति के सम्बन्ध में राज्य के पक्ष में आदेश प्राप्त करने का प्रभावी प्रयास किया जाए, जिससे कुर्क की गयी सम्पत्ति को राज्य के पक्ष में निर्मुक्त करने का आदेश मा0 न्यायालय द्वारा पारित किया जा सके।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश। समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1–अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ०प्र० लखनऊ।
- 2-अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ०प्र० लखनऊ
- 3-अपर पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार, उ०प्र० लखनऊ।
- 4-अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ०प्र० लखनऊ।
- 5-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 6-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।